पत्र संख्या- 22/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस-नोट
थाना – बरदह, जनपद आज़मगढ़

कूटरचना व धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 07.12.2025 को थाना बरदह पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आवेदिका **रिंकू उर्फ रिंकी यादव पुत्री स्व0 लक्षीराम यादव**, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना बरदह, जनपद आज़मगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि उसके पिता की मृत्यु के उपरांत विपक्षीगणों द्वारा कूटरचना एवं धोखाधड़ी कर उसके पिता को वसीयत के माध्यम से नाजायज रूप से निःसंतान (नावल्द) घोषित करा दिया गया तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवेदिका के पिता की भूमि अपने नाम वसीयत करा ली गई। इस संबंध में पूछताछ करने पर वादिनी को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0 386/25**, धारा **419, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि** बनाम

1. पतिराम पुत्र कुन्दन, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़
2. सतिराम पुत्र कुन्दन, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़
3. वंशराजी पत्नी बाबूराम, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़
4. सुनील, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़
5. दुर्गा, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़
6. विशाल पुत्रगण बाबूराम, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 13.01.2026 को उ0नि0 **पुनीत कुमार श्रीवास्तव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सतिराम यादव पुत्र स्व0 कुद्दन उर्फ रामनाथ**, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़ को उनके घर से समय करीब **12:30 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. सतिराम यादव, पिता – स्व0 कुद्दन उर्फ रामनाथ, निवासी – ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आज़मगढ़।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0सं0 386/25, धारा – 419, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि, थाना – बरदह, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव, थाना बरदह, आज़मगढ़।
2. का0 पंकज यादव, थाना बरदह, आज़मगढ़।

प्रेस-नोट
थाना – देवगांव, जनपद आज़मगढ़

एटीएम बदलकर धोखाधड़ी से पैसे निकालने में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

अपराध का विवरण–

दिनांक **30.06.2025** को समय करीब **11:30 बजे** वादी **बुझारत** के भाई **बुझावन चौहान पुत्र मारकण्डेय चौहान**, निवासी ग्राम तरफकाजी, थाना देवगांव, जनपद आज़मगढ़ के साथ कस्बा देवगांव स्थित यूनियन बैंक के एटीएम पर अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उनका एटीएम कार्ड बदल लिया गया तथा बाद में उक्त एटीएम कार्ड के माध्यम से **₹50,000/-** की धनराशि निकाल ली गई। दिनांक **12.01.2026** को वादी अपने भतीजे **दीपक** के साथ एटीएम से धनराशि निकालने गया, जहां उसने अभियुक्त **विपिन यादव पुत्र गंगा यादव**, निवासी टिसौरा माफी (नसरत ताल), थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़ को पहचान लिया। वादी द्वारा अभियुक्त को पकड़कर थाना कार्यालय लाया गया। नाम-पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम **विपिन यादव पुत्र गंगा यादव**, उम्र लगभग **32 वर्ष** बताया। नियमानुसार अभियुक्त की जामा-तलाशी ली गई, जिसमें **21 अदद एटीएम कार्ड** व **₹700/-** नगद बरामद हुए। बरामदगी की कार्यवाही समक्ष गवाहान व वादी मुकदमा के मौके पर फर्द तैयार कर की गई। अभियुक्त को समय करीब **23:10 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया तथा थाना स्थानीय पर दाखिल किया गया। उक्त संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर **मु0अ0सं0 26/2026**, धारा **319(2), 318(4), 303(2), 317(2) बीएनएस** बनाम अभियुक्त उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. विपिन यादव, पिता – गंगा यादव, निवासी – टिसौरा माफी (नसरत ताल), थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़, उम्र – लगभग 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 26/2026, धारा – 319(2)/318(4)/303(2)/317(2) बीएनएस, थाना – देवगांव, जनपद आज़मगढ़

बरामदगी का विवरण–

1. 21 अदद एटीएम कार्ड
2. ₹700/- नगद

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 13.01.2026
थाना-मुबारकपुर, जनपद – आज़मगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व ₹21 लाख की धनराशि हड़पने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक **12.01.2026** को वादिनी थाना मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर उपस्थित होकर तहरीर दी गई कि अभियुक्त **सुरेन्द्र यादव पुत्र गुलाब यादव**, निवासी ग्राम बद्दोपुर मातनपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आज़मगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया तथा जमीन खरीदने के नाम पर वादिनी के खाते से किस्तों में कुल **₹21,00,000/-** (इक्कीस लाख रुपये) निकलवा लिए गए। बाद में जमीन लिखवाने की बात कहने पर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के

आधार पर थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0 15/26**, धारा **69, 316(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस** बनाम सुरेन्द्र यादव पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक **12.01.2026** को उ0नि0 **मुरारी मिश्र** मय हमराह थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्त की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त मुकदमे का वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र यादव अपने घर में मौजूद है तथा फरार होने की फिराक में है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त को मौके से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया। नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम **सुरेन्द्र यादव पुत्र गुलाब यादव**, उम्र लगभग **36 वर्ष**, निवासी ग्राम बद्दोपुर (मातनपुर), थाना कन्धरापुर, जनपद आज़मगढ़ बताया। अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में वांछित होने की जानकारी देते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब **19:15 बजे** नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम व पता–

01. सुरेन्द्र यादव पुत्र गुलाब यादव, निवासी – ग्राम बद्दोपुर (मातनपुर), थाना कन्धरापुर, जनपद आज़मगढ़, उम्र – लगभग 36 वर्ष

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 15/26, धारा – 69, 316(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना – मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़।

आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 15/26, धारा – 69, 316(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना – मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह, थाना मुबारकपुर, जनपद आज़मगढ़

प्रेस नोट

जनपद-आजमगढ़

SPEL कार्यक्रम के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को किया गया प्रशिक्षित

➡भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित 30 दिवसीय Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम का तृतीय चरण प्रदेश के समस्त जनपद में प्रस्तावित है। इसी क्रम में **आज दिनांक 13.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेश कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल** के पर्यवेक्षण में छात्र-छात्राओं के संज्ञानातम्क व लोक कौशल में सुधार तथा उनको कानून व आपराधिक प्रक्रिया,आपराधिक अनुसंधान,यातायात नियंत्रण,साइबर क्राइम,मानव तस्करी,कानून-व्यवस्था जैसे इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण इन्टर्न के रूप में प्राप्त कराये जाने हेतु स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं को पुलिस थानों में 30 दिवसीय अनुभावत्मक सिखालायी के उद्देश्य से पुलिस लाइन स्थित सभागार में उपरोक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

अवगत कराना है कि उत्तर-प्रदेश के सभी जनपदों में उपरोक्त कार्यक्रम का प्रथम चरण माह नवम्बर वर्ष 2023 में पूर्ण किया गया था ।

➡S.P.E.L.Programme (Student Police Experiential Learning Programme) हेतु तृतीय चरण में जनपद आजमगढ़ **के 09 थानों (कोतवाली, सिधारी, रानी की सराय, कंधरापुर, निजामाबाद, गंभीरपुर, देवगाँव,जीयनपुर एवं बरदह)** पर विभिन्न कॉलेजों से छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसका शुभारम्भ आज दि0 13.01.2026 को पुलिस लाइन स्थित सभागार से किया गया। SPEL के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रमुख रूप से निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

➡आपराधिक कानूनों और प्रक्रियायों का आधारभूत ज्ञान कराना।

➡आपराधिक अन्वेषण का आधारभूत ज्ञान कराना।

➡यातायात प्रबंधन के संबंध में जानकारी दिया जाना।

➡कानून व्यवस्था और सामान्य पुलिसिंग संबंधी आधारभूत ज्ञान कराना।

➡ नशा उन्मूलन संबंधी ज्ञान प्रदान करना।

➡ पुलिस विभाग का परिचय(बीट,चौकी/हल्का,थाना,सर्किल,शहरी/ग्रामीण क्षेत्र,जिला,रेंज,जोन और प्रदेश की व्यवस्था,पदाधिकारी एवं उनके कर्तव्य,यूनिफॉर्म)

➡ पुलिस विभाग का महत्व ।

➡ पुलिस विभाग के कार्य ।

➡ पुलिस विभाग के अधिकारियों/भवनों की जानकारी।

प्रेस-नोट

थाना-मेंहनाजपुर, जनपद–आज़मगढ़

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आज़मगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.01.2026 को थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 31.12.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत घटित हत्या की घटना में शामिल एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मारुका माता मंदिर के पास इटैली–मौधा रोड पर हुई हत्या की घटना में शामिल वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में एक अन्य अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया जा चुका है गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक **31.12.2025** को प्रार्थी **शुभम सोनकर पुत्र उदयभान सोनकर**, निवासी ग्राम दरियापुर नेवादा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि उसी दिन शाम करीब **08:00 बजे** उसके चाचा के पुत्र **अखिलेश सोनकर पुत्र संतोष सोनकर** अपने गांव के **संदीप कुमार पुत्र घनश्याम धरकार** के साथ मोटरसाइकिल संख्या **UP61 P 9416 (पैशन प्रो, लाल रंग)** से इटैली बाजार से मौधा रोड होते हुए घर जा रहे थे। मारुका माता मंदिर के पास लगभग 400 मीटर आगे पीछे से आए अज्ञात बाइक सवार तीन व्यक्तियों द्वारा अखिलेश सोनकर के सिर पर डंडे

से प्रहार किया गया, जिससे वह मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अखिलेश सोनकर को लालगंज सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व तथ्यों के आधार पर मुकदमा **मु0अ0सं0 127/2025**, धारा **103(1) बीएनएस** में पंजीकृत किया गया तथा बाद में धारा **3(5)/61(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना में निम्न अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए—

1. वरुण यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र अवधराज यादव, निवासी ग्राम उचहुआ, थाना चंदवक, जनपद जौनपुर
2. रवि यादव पुत्र स्व0 उदयराज यादव, निवासी ग्राम उचहुआ, थाना चंदवक, जनपद जौनपुर
3. आशुतोष सिंह पुत्र पंकज सिंह, निवासी गनीपुर डगरहा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़
4. अम्बुज सिंह उर्फ लाला सिंह पुत्र विकास सिंह उर्फ डब्बू सिंह, निवासी ग्राम रोवापार, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष
5. बिन्नू राजभर पुत्र स्व0 बरखू राजभर, निवासी ग्राम गनीपुर डगरहा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक **13.01.2026** को थानाध्यक्ष मेहनाजपुर मय हमराह पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र, लंबित विवेचना एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में इटैली बाजार से मौधा रोड की ओर मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त **अम्बुज सिंह उर्फ लाला सिंह** चिल्लूपुर मोड़ के पास मंदिर की आड़ लेकर कहीं जाने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त को मौके से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया। नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम **अम्बुज सिंह उर्फ लाला सिंह पुत्र विकास सिंह उर्फ डब्बू सिंह**, निवासी ग्राम रोवापार, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़, उम्र लगभग **19 वर्ष** बताया। अभियुक्त को समय करीब **12:20 बजे** कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। पूर्व में ही मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अम्बुज सिंह उर्फ लाला सिंह पुत्र विकास सिंह उर्फ डब्बू सिंह, निवासी ग्राम रोवापार, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़, उम्र – लगभग 19 वर्ष

वांछित अभियुक्त–

1. रवि यादव पुत्र स्व0 उदयराज यादव, निवासी ग्राम उचहुआ, थाना चंदवक, जनपद जौनपुर
2. आशुतोष सिंह पुत्र पंकज सिंह, निवासी गनीपुर डगरहा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़
3. बिन्नू राजभर पुत्र स्व0 बरखू राजभर, निवासी ग्राम गनीपुर डगरहा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 **127/2025**, धारा **103(1) बीएनएस**, बढ़ोत्तरी धारा **3(5)/61(2) बीएनएस**, थाना – मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 127/2025, धारा 103(1) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3(5)/61(2) बीएनएस, थाना मेहनाजपुर
2. मु0अ0सं0 133/2024, धारा 3(5)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5क एससी/एसटी एक्ट, थाना मेहनाजपुर, जनपद आज़मगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष **मनीष पाल**, थाना मेहनाजपुर
2. हे0का0 **शशि कुमार**, थाना मेहनाजपुर
3. हे0का0 **शोभा प्रसाद**, थाना मेहनाजपुर
4. हे0का0 **पवन कुमार सिंह**, थाना मेहनाजपुर
5. का0 **अभिषेक मौर्य**, थाना मेहनाजपुर

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मार पीट व गाली गलौज के आरोप में दोषी करार देते हुए **न्यायालय उठने तक के कारावास** व 1500 **रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें मारने पीटने व गाली गलौज देने के 01 **आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- 22.06.2003 को वादिनी मुकदमा रुपमीना पत्नी पदमाकर शुक्ला निवासी जोगापुर माधोपटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र गिरजाशंकर पाण्डेय निवासी जोगापुर माधोपटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादिनी पक्ष को मारना पीटना व गली गलौज करना।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 56/2003 धारा-323,504,427 भादवि पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➞ जिसके क्रम में दिनांक- 13.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र गिरजाशंकर पाण्डेय निवासी** जोगापुर माधोपटटी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.01.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि 11 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 11 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 26.11.1996 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राम नायक पाण्डेय थाना जहानागंज ने थाने पर लिखित तहरीर द कि अभियुक्त योगेन्द्र पाण्डय पुत्र हंसराज पाण्डेय निवासी धनकपुर थाना सिधारी जनपद आमजगढ़ के कब्जे से 1 अद अबैध तमन्चा व 1 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-325/1996 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 13.01.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त स सम्बन्धित अभियुक्त योगेन्द्र पाण्डय पुत्र हंसराज पाण्डेय निवासी धनकपुर थाना सिधारी जनपद आमजगढ़ **को दोषसि पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 11 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वार की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गोवध नि0 अधि0 के आरोप में दोष करार देते हुए **न्यायालय उठने तक के कारावास** व **600 रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त को गोवध नि0 अधि0 **के आरोपी अभियुक्त को न्यायाल उठने तक के कारावास** व **600 रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 05.01.1989 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री दीप नारायन सक्सेना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ थाने प लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अनवार पुत्र रज्जक निवासी गुलवा नसीरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे स गौवंश पशु बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 07/1989 धारा-3/5/8 गोवध नि0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 13.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त** अनवार पुत्र रज्जक निवासी गुलवा नसीरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पा हुए को न्यायालय उठने तक के कारावास** व **600 रु0** के **अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वार की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट, गाली गलौज व जान से मार की धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए **न्यायालय उठने तक के कारावास व प्रत्येक को** 1700 **रु0** के अर्थदण से दण्डित किया गया।

थाना निजामाबाद में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने के धमकी देने के 02 **आरोप अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक के कारावास व** व प्रत्येक को 1700 **रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- 07.08.2007 को वादी शकेउल उर्फ बब्बू पुत्र निशार अहमद निवासी क्यामुददीन पटटी परशहा थान निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. शाह आलम उर्फ झिनकू पुत्र मो0 तैयब 2. अबु लालिब पुत्र मो0 तैयब निवासीगण क्यामुददीन पटटी परशहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा वाद पक्ष को मारना पीटना, गाली गलौज व जान से मारने के धमकी देने।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 126/2007 धारा-323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➞ जिसके क्रम में दिनांक- 13.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शाह आलम उर्फ झिनकू पुत्र मो0 तैयब 2. अबु लालिब पुत्र मो0 तैयब निवासीगण क्यामुददीन पटटी परशहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व प्रत्येक को 1700 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास** व **500 रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व **500 रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- 17.04.2003 को वादी मुकदमा का0 मनोज कुमार तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुल्तान अन्सारी पुत्र जमाल अन्सारी निवासी नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0-187/2003 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➞ जिसके क्रम में दिनांक- 13.01.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त** सुल्तान अन्सारी पुत्र जमाल अन्सारी निवासी नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए को न्यायालय उठने तक के कारावास** व **2000 रु0** के **अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के

आरोप में **जेल में काटी गयी अवधि 1 माह 21 दिवस के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना निजामाबाद में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में **जेल में काटी गयी अवधि 1 माह 21 दिवस के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 17.12.2008 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री आऱ0पी0 सरोज थानाध्यक्ष निजामाबाद जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त अशोक विश्वकर्मा पुत्र शिवनाथ निवासी मुरादाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 1.6 किलो गांजा बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजांमाबाद पर मु0अ0सं0- 758/2008 धारा-8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 13.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त अशोक विश्वकर्मा पुत्र शिवनाथ निवासी मुरादाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि 1 माह 21 दिवस के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**